

परियोजना का नाम: - जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के०वी० डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

जिलाधिकारी
गढ़वाल

on $\frac{S}{S} \frac{A}{A} \frac{D}{D} \frac{W}{W}$
DCMMZ

1. gael lachdu
S.E.
quorvøte
vante

जिलाधिकारी

राज्य उच्च निरीक्षक
क्षेत्र - २५ मय - १९८८

राजस्व निरीक्षक
तहसील.....
जनपद-पौड़ी गढ़वाल

जिलाधिकारी,
शानगर गढ़वाल
शिवपुरी कानूनको
गढ़वाल शिवपुरी

Ques

प्रारूप-38

परियोजना का नाम: - जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

Sachin S.S.
Jie. AF 400KV
prop. D/c 266 VMTL

80/
Executive Engineer
Electy. 400 K.V S/S Division
प्र. वि. व. ला. प. रो. रो. रो.
Muzaarnagar

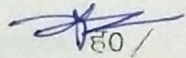
प्रारूप-39

परियोजना का नाम: - जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

Sachin Singh
S.E.
400 KV D/C
VMTL
DEPT
VMTL


Executive Engineer
Electy. 400 K.V. S/S Division
C.P.E.L. Jolly Road
Muzaffarnagar

प्रारूप-40
परियोजना का नाम: - जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 268 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

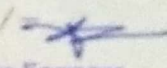
लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्नलिखित स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जन संख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	परिवार	जनसंख्या
सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखण्ड	लगभग 1.31 करोड़	लगभग 5.25 करोड़

यह परियोजना उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के साथ-साथ सम्पूर्ण राष्ट्र हित में है। लाभान्वित होने वाली जनसंख्या सन् 2011 जनगणना के आधार पर सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश तथा उत्तराखण्ड की जनसंख्या का 25 प्रतिशत अनुमानित है।

Sachdev
SIC
40 KV D/C
VMTL

HO / 
Executive Engineer
Electy. 400 K.V S/S Division
L.P.C.L. Jolly Road
Muzaffarnagar

मानक शर्तें

- 

पेड़ों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15 वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कारिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जाएगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।

16 यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।

17 उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18 वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं।

Signature
S.E.
400100/D/C
VMTL
Signature
A. K. Sharma
VMTL

Signature 80/
Executive Engineer
Electy. 400 K.V. S/S Division
L.P.C. Road
Muzakarnagar